(30) (28)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20 रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-5168-II/17

Rs-30/-

उर्मिला सिंह पत्नी श्री रामबदन सिंह, उम्र 70 वर्ष, निवासी सा0 अमलौरी, तह0 बैढ़न जिला सिंगरौली हाल ग्राम खुटार, जिला सिंगरौली म0प्र0

————————अपीलार्थी

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0

—————— उत्तरवादी

अधि0श्री आर0डी0कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत 21.5.17

रीडर आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सिंगरौली, जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कमांक 16/अ-74/2012-2013 पारित आदेश दिनांक 23.10.2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई .

मान्यवर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

क- यह कि भूमि खसरा कमांक 46/4 रकवा 10.52ए. स्थित ग्राम अमरौली, की भूमि अपीलार्थी की स्वत्व अधिपत्य की है, जिसमें अपीलार्थी मौके से काबिज है, न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा अपने राजस्व प्रकरण कमांक 16/अ-74/12-2013 आदेश दिनांक 23.10.2012 को इस आशय का आदेश पारित किया की अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली, उपखण्ड अधिकारी सिंगरौल, संयुक्त कलेक्टर सिंगरौली, एवं तहसीलदार सिंगरौली का एक जॉच दल गठित किया जाकर जॉच करायी गयी, उक्त जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20.07.2012 क अवलोकन अनुसार ग्राम अमरौली, तह0 सिंगरौली,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5168—दो / 2017 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13—7—2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। कलेक्टर सिंगरौली के आदेश दिनांक 23—10—2012 की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। कलेक्टर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत आवेदिका सहित अनेक लोगों को भूमिस्वामी स्वत्वों का अर्जन विकध के सम्यक अनुकम में नहीं होने के कारण प्रश्नाधीन भूमियों को पूर्ववत म0प्र0 शासन दर्ज के आदेश दिये हैं। कलेक्टर के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा 23—10—2012 के प्रश्नाधीन आदेश को इस न्यायालय में दिनांक 21—4—2017 को अर्थात 4 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से चुनौती दी गई है। विलम्ब के संबंध में समाधानकारक कारण भी नहीं दर्शाया है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन एवं समयावधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	